भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 388
दिनांक 03 दिसम्बर 2025 / 12 अग्रहारण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों का मानकीकृत निस्तारण तथा अफीम की खेती का विनष्टीकरण

388# श्री शंभू शरण पटेलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जब्त किए गए मादक पदार्थों के मानकीकृत निस्तारण के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है;

(ख) विगत पाँच वर्षों में निस्तारण किए गए मादक पदार्थों की मात्रा कितनी है; और

(ग) विगत पाँच वर्षों में गांजे और अफीम की खेती का कुल कितना क्षेत्रफल नष्ट किया गया है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): नशामुक्त भारत के अपने प्रयास में सरकार ने जब्त मादक पदार्थों के शीघ्र निस्तारण (डिस्पोजल) हेतु विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) सरकार समय-समय पर ड्रग निस्तारण अभियान चलाती है।

(ii) सरकार ने राजस्व विभाग (डीओआर) की अधिसूचना जीएसआर 899(अ) दिनांक 23.12.2022 के नियम संख्या 4 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के माध्यम से गोदाम प्रभारी को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 52क के अंतर्गत प्रमाणित की गई सभी जब्त वस्तुओं की सूची तैयार करने और जब्त की गई वस्तुओं को शीघ्र नष्ट करने के लिए इसे संबंधित मादक पदार्थ निस्तारण समिति (डीडीसी) के अध्यक्ष को प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया है। भंडारण सुविधा के प्रभारी अधिकारी/संरक्षक नियमित अंतराल पर संबंधित डीडीसी के माध्यम से जब्त मादक पदार्थों का निस्तारण करते हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 388, दिनांक 03.12.2025

(iii) अधिसूचना संख्या जीएसआर 899 (अ) दिनांक 23.12.2022 जब्त स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों और जब्त नियंत्रित पदार्थों के साथ-साथ परिवहन सहित अन्य वस्तुओं के प्री-ट्रायल डिस्पोजल के तरीके को निर्धारित करती है।

(iv) विभिन्न एजेंसियों में मादक पदार्थ निस्तारण समितियों का गठन किया गया है, जिनकी अध्यक्षता स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्षेत्रीय निदेशक या राज्य पुलिस अधीक्षक या सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त या डीआरआई के संयुक्त निदेशक या समकक्ष रैंक के अधिकारी करते हैं, जबकि दो अन्य सदस्य सहायक पुलिस अधीक्षक या सहायक/उप आयुक्त/निदेशक रैंक के होते हैं। यह समिति केवल निर्दिष्ट मात्रा तक के ही निस्तारण का आदेश दे सकती है। यदि निस्तारित किए जाने वाले प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा अधिक है या उसका मूल्य अधिक है, तो मादक पदार्थ निस्तारण समिति अपनी सिफारिशें विभागाध्यक्ष को भेजेगी, जो इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक उच्च स्तरीय मादक पदार्थ निस्तारण समिति द्वारा उनके निस्तारण का आदेश देंगे।

(v) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के तहत अधिकार प्राप्त सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियां (डीएलईए) 2012 की सीआर. अपील संख्या 652 (भारत संघ बनाम मोहनलाल एवं अन्य) और जीएसआर अधिसूचना 899(अ) दिनांक 23.12.2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन कर रही हैं और एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की धारा 52क के तहत कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के तुरंत बाद जब्त किए गए मादक पदार्थों का विवरण मादक पदार्थ निस्तारण समिति के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत करती हैं।

(vi) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने मादक पदार्थों और अन्य जब्त वस्तुओं के निस्तारण से संबंधित सभी कानूनी प्रावधानों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के निर्णयों को शामिल करते हुए एक मार्गदर्शन पुस्तिका प्रकाशित की है। इसे मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों को आसानी से सुलभ कराने के लिए नार्को समन्वय (एनसीओआरडी) पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 388, दिनांक 03.12.2025

(ख): सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2020 से 2024 के दौरान निस्तारित किए गए मादक पदार्थों की मात्रा निम्नानुसार है: -

वर्ष	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
निस्तारण की कुल मात्रा (किग्रा. में)	1,58,198	1,39,597	8,65,547	7,62,015	4,51,088

स्रोत: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

(ग): सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2020 से 2024 के दौरान नष्ट की गई गांजे और अफीम की खेती का कुल क्षेत्रफल निम्नानुसार है:-

फसल	**2020 (एकड़ में)**	**2021 (एकड़ में)**	**2022 (एकड़ में)**	**2023 (एकड़ में)**	**2024 (एकड़ में)**
अफीम पोस्ता	21,559	34,866	26,266	22,507	34,018
गांजे की खेती	10,769	11,027	13,796	31,786	22,512

स्रोत: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

*****